न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी0 आर0 मीना ,आर ए एस
अपील संख्या– आरटीए/131/2023

उनवान

1. श्रीमती नंदु पत्नी मांगू गुर्जर, निवासी–परा, तहसील–बदनोर, हाल निवासी–चोटियास, तहसील–आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. मांगू गुर्जर पिता खुमाण गुर्जर, निवासी–परा, तहसील–बदनोर, जिला भीलवाडा
2. धर्मा पिता खुमाण गुर्जर, निवासी–परा, तहसील–बदनोर, जिला भीलवाडा
3. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी धर्मा गुर्जर, निवासी–परा, तहसील–बदनोर, जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये उप पंजीयक, तहसीलदार बदनोर , जिला भीलवाडा

——रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बदनोर
के प्रकरण संख्या 58/2016 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.4.2023

अभिभाषक :

1. श्री बी एल बापना, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थीगण अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 9.2.2026

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया किवादिया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का सजरा इस प्रकार है:–

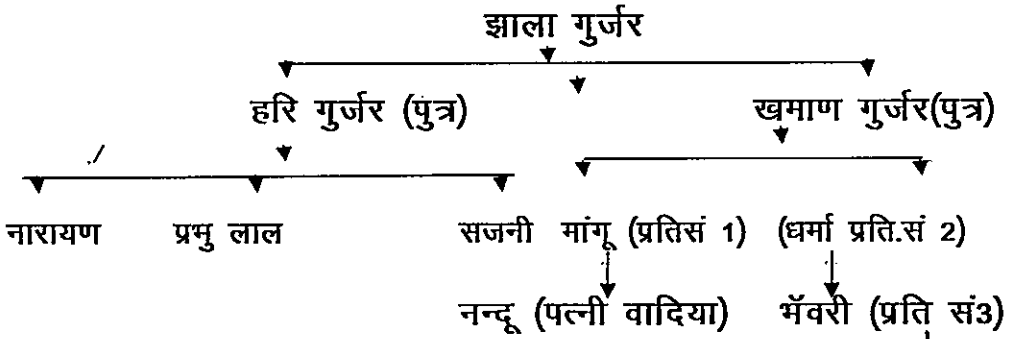

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

2. ग्राम एरा पत्यार क्षेत्र पर तहसील बदनौर जिला–भीलवाड़ा में प्रतिवादी मांगू की संयुक्त पुश्तैनी खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की आराजी नम्बर–890, 891, 943, 944, 945, 1012, 1013, 1014, 1015, 1018 1022, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1587, 1588 कुल किता 20 रकबा 4.43 हेक्टेयर भूमि व खाता संख्या–649 में आराजी नम्बर–83, 84 किता 2 रकबा 0.8100 हेक्टेयर भूमि स्थित है।

3. उपरोक्त वर्णित आराजियात खमाण जी गुर्जर के समय की होकर पुश्तैनी आराजियात है, जो विरासत से प्रतिवादी मांगू व अन्य के नाम पर दर्ज हुई है तथा प्रतिवादी मांगू व उसके भाई धर्मा का उक्त पैतृक आराजियात में 1/2 संयुक्त हक हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा वादिया प्रतिवादी मांगू की विवाहिता पत्नि है एवं वादिया अपने विवाह के बाद से ही प्रतिवादी मांगू के साथ–साथ उसके हक हिस्से की जमीन पर हक हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा वादिया ने काफी श्रम व लागत लगाकर अपने हक हिस्से को उपजाऊ बनाया है, लेकिन प्रतिवादी मांगू अपने भाई प्रतिवादी संख्या–2 धरमा व उसकी पत्नि प्रतिवादी संख्या–3 भंवरी के नाजायज बहकावट व सिखावट में होने से उक्त आराजियात को विक्रय रहन, बय–बक्षीश पर हस्तांतरण करने पर आमादा है।

4. वादिया उक्त वादग्रस्त आराजियात पर प्रतिवादी मांगू के साथ बहैसियत मालिकाना हक अधिकार से शांतिपूर्वक काबिज हो काश्त करती चली आ रही है एवं वादिया व प्रतिवादी संख्या–1 की आजीविका का एकमात्र स्त्रोत यही कृषि भूमि है. इस भूमि से होने वाली आय से हमारा गुजर–बसर होता है।

5. प्रतिवादी संख्या–1 का चाल–चलन ठीक नहीं है एवं प्रतिवादी ने मुझ वादिया के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया तथा अपने भाई धर्मा की पत्नि के साथ नाजायज सम्बन्ध स्थापित कर रखे हैं तथा धर्मा की पत्नि की बहकावट व सिखावट में उक्त आराजियात को विक्रय, रहन, बय–बक्षीस कर हस्तातरण करने पर आमादा है तथा प्रतिवादी संख्या धर्मा की पत्नि द्वारा मुझ प्रार्थीया के साथ की गई मारपीट के सम्बन्ध में मेरे द्वारा थाना–बदनौर व थाना–आसीन्द में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई. जिस पर उनको कई बार पाबन्द भी किया गया।

6. दिनांक 05.02.2016 को प्रतिवादी संख्या–1 मांगू व प्रतिवादी धर्मा व उसकी पत्नि प्रतिवादी संख्या–3 वादग्रस्त आराजियात पर आये एवं लडाई झगड़ा करने लग गये और कहा कि तुझको

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

12. वादिया व अपीलार्थीया ने एक वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 कासजरा निम्नानुसार है

झाला गुर्जर

हरि गुर्जर (पुत्र) खमाण गुर्जर(पुत्र)

नारायण प्रभु लाल सजनी मांगू (प्रतिसं 1) (धर्मा प्रति.सं 2)

नन्दू (पत्नी वादिया) भॅवरी (प्रति सं3)

13. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि ग्राम परा पटवार क्षेत्र पर तहसील बदनौर जिला–भीलवाड़ा में प्रतिवादी मांगू की संयुक्त पुश्तैनी खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की आराजी नम्बर–890, 891, 943, 944, 945, 1012, 1013, 1014, 1015, 1018 1022, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1587, 1588 कुल किता 20 रकबा 4.43 हेक्टेयर भूमि व खाता संख्या–649 में आराजी नम्बर–83, 84 किता 2 रकबा 0.8100 हेक्टेयर भूमि स्थित है।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित आराजियात खमाण जी गुर्जर के समय की होकर पुश्तैनी आराजियात है, जो विरासत से प्रतिवादी मांगू व अन्य के नाम पर दर्ज हुई है तथा प्रतिवादी मांगू व उसके भाई धर्मा का उक्त पैतृक आराजियात में 1/2 संयुक्त हक हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा वादिया प्रतिवादी मांगू की विवाहिता पत्नि है एवं वादिया अपने विवाह के बाद से ही प्रतिवादी मांगू के साथ–साथ उसके हक हिस्से की जमीन पर हक हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा वादिया ने काफी श्रम व लागत लगाकर अपने हक हिस्से को उपजाऊ बनाया है, लेकिन प्रतिवादी मांगू अपने भाई प्रतिवादी संख्या–2 घरमा व उसकी पत्नि प्रतिवादी संख्या–3 नंवरी के नाजायज बहकावट व सिखावट में होने से उक्त आराजियात को विक्रय रहन, बय–बक्षीश पर हस्तांतरण करने पर आमादा है।

15. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादिया उक्त वादग्रस्त आराजियात पर प्रतिवादी मांगू के साथ बहैसियत मालिकाना हक अधिकार से शांतिपूर्वक काबिज हो काश्त करती चली आ रही है एवं वादिया व प्रतिवादी संख्या–1 की आजीविका का एकमात्र स्त्रोत यही कृषि भूमि है. इस भूमि से होने वाली आय से हमारा गुजर–बसर होता है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

कितनी बार उक्त आराजीयात से कब्जा छोडने के लिए कहा किन्तु तुम उक्त वादग्रस्त आराजियात से कब्जा नहीं छोड रही हो, उक्त आराजियात हमारे नाम पर दर्ज है। अब मैं इसको धर्मा की पत्नि अथवा उसके कहे अनुसार अन्य व्यक्ति को विक्रय रहन–बय, बक्षीश कर अन्तरित व भारित कर दूंगा तथा उक्त आराजियात से तूझे बेदखल कर देंगे, जिससे यह वादपत्र पेश करने की नौबत आई एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वह मुझ वादिया के आधिपत्यशुदा उक्त आराजियात से वादिया को बेदखल नहीं करें एवं मुझ वादिया के शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें व न ही किसी अन्य से करावें एवं उक्त वादग्रस्त आराजियात को किसी भी माध्यम से खुर्द–बुर्द अन्तरित व भारित न करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

7. प्रतिवादी संख्या–4 को भी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि यदि प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज विक्रय, रहन, बय–बक्षीश हेतु उनके समक्ष पेश किया जाता है तो वह उक्त भूमि के सम्बन्ध में दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें।

8. अतः निवेदन है कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बाहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादी पारित फरमाई जाकर प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि प्रतिवादीगण, वादिया के वादपत्र की धारा संख्या–2 में वर्णित आराजियात में मांगू के हिस्से से वादिया को बेदखल नहीं करें एवं वादिया के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग व कब्जे कास्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं पैदा करें न ही किसी अन्य से करावें एवं मौके की यथास्थित बनाये रखें तथा वादग्रस्त आराजियात को विक्रय, रहन, बय–बक्षीश कर हस्तांतरण नहीं करें।

9. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय व डिकी द्वारा वादी का वाद पत्र निर्णय व डिकी दिनांक 26.4.2023 द्वारा खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

10. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थीगण के अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

नंदूदेवी पी.डब्ल्यू 1 के रूप में मल्ला भील पी डब्ल्यू 2 के रूप में व निम्बा भील पी.डब्ल्यू. 3 के रूप में सशपथ करवाये और दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी प्रदर्श व प्रदर्श 2 पेश की गयी ।

18. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी सं. 1 के पूर्वजों के समय की है जिसमें वादीया का प्रतिवादी सं. 1 के साथ विवाह होने के समय से ही ससुराल की उस पैतृक भूमि में वादीया अपीलार्थीया का हक अधिकार स्थापित हो गया था। अगर वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक नहीं होकर स्वअर्जित होती तो वह इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित करता कि उसने यह भूमि किसी पंजीकृत दस्तावेज से कय की है, लेकिन इस प्रकार की कोई मजबूत दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादी सं. 1 मांगू ने न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जिससे यही माना जायेगा कि वादग्रस्त आराजियात मांगू व उसके भाई धर्मा को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है । पूर्वजों से प्राप्त होने वाली पैतृक भूमि में वादीया को अपने पति मांगू के समान ही अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जिससे वह इस पैतृक भूमि की सुरक्षा करने की अधिकारी हो जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 मांगू वादग्रस्त भूमि को किसी भी तरह से खुर्द–बुर्द हस्तान्तरित नहीं करे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानून की इस मंशा को नहीं समझकर यादीया द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★ सत्यमेव जयते

19. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह तो प्रमाणित माना है कि वादीया निर्विवाद रूप से प्रतिवादी सं. की पत्नी है किन्तु वादीया को उसके पति के जीवनकाल में किसी प्रकार के कोई हक अधिकार नहीं मिलते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का यह विनिश्चय कानून सम्मत नहीं है क्योंकि पैतृक व पारिवारिक भूमि की सुरक्षा करने का अधिकार किसी व्यक्ति की पत्नी को अपने पति के समान ही प्राप्त होता है । अगर पति उस पैतृक भूमि को बिना किसी जायज जरूरत के खुर्द–बुर्द अंतरित व भारित कर देता है तो उसका असर वादीया व वादीया के पूरे परिवार पर पड़ता है ऐसी स्थिति में वादीया को अपने ससुराल की पैतृक भूमि की सुरक्षा हेतु दावा पेश करने का पूरा अधिकार रहता है। इस बारे में कोई कानून वादीया पर प्रतिबंध नहीं लगाता है।

20. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद में दिनांक 26–04–2023

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या–1 का चाल–चलन ठीक नहीं है एवं प्रतिवादी ने मुझ वादिया के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया तथा अपने भाई धर्मा की पत्नि के साथ नाजायज सम्बन्ध स्थापित कर रखे हैं तथा धर्मा की पत्नि की बहकावट व सिखावट में उक्त आराजियात को विक्रय, रहन,बय–बक्षीस कर हस्तातरण करने पर आमादा है तथा प्रतिवादी संख्या धर्मा की पत्नि द्वारा मुझ प्रार्थीया के साथ की गई मारपीट के सम्बन्ध में मेरे द्वारा थाना–बदनौर व थाना–आसीन्द में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई. जिस पर उनको कई बार पाबन्द भी किया गया।

16. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि दिनांक 05.02.2016 को प्रतिवादी संख्या–1 मांगू व प्रतिवादी धर्मा व उसकी पत्नि प्रतिवादी संख्या–3 वादग्रस्त आराजियात पर आये एवं लडाई झगड़ा करने लग गये और कहा कि श्तुझको कितनी बार उक्त आराजीयात से कब्जा छोडने के लिए कहा किन्तु तुम उक्त वादग्रस्त आराजियात से कब्जा नहीं छोड रही हो, उक्त आराजियात हमारे नाम पर दर्ज है। अब मैं इसको धर्मा की पत्नि अथवा उसके कहे अनुसार अन्य व्यक्ति को विक्रय रहन–बय, बक्षीश कर अन्तरित व भारित कर दूंगा तथा उक्त आराजियात से तूझे बेदखल कर देंगे, जिससे यह वादपत्र पेश करने की नौबत आई एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वह मुझ वादिया के आधिपत्यसुदा उक्त आराजियात से मुझ वादिया को बेदखल नहीं करे एवं मुझ वादिया के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग व कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करावे और उक्त वादग्रस्त आराजियात को किसी भी माध्यम से खुर्द बुर्द अंतरित व भारित नहीं करे और मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

17. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादीया के वादपत्र के खण्डन में प्रतिवादी ने कोई जवाबदावा पेश नहीं किया जिससे उसकी जवाबदेही दिनाक 23–10–2020 को बंद कर दी गयी। इससे प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी सं. 1 को बादीया द्वारा पेश किया गया वादपत्र स्वीकार है तो वादीया को अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादीया के वादपत्र को यह कहकर खारिज कर दिया कि आराजी मुतदाविया खमाण गुर्जर के समय की रही हो इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इस संदर्भ में वादीया का यह निवेदन करना है कि बादीया ने अपने वादपत्र को साबित कराने के लिये न्यायालय में स्वयं अपने बयान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

को निर्णय व डिक्री पारित करना लिखा है किन्तु उसकी कोई जानकारी वादीया व वादीया के अधिवक्ता को नहीं दी गयीं। वादीया को जानकारी होते ही उसने दिनांक 22–06–2023 को उक्त निर्णय व डिक्री की नकल लेने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया जिस पर नकलें दिनांक 19–07–2023 को जारी की गयी जिससे यह अपील मिलने जानकारी दिनांक 22–06–2023 व मिलने नकल दिनांक 19–07–2023 से अंदर अवधि 2 माह में पेश है।

21. अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–04–2023 को निरस्त किया जाकर वादीया का वादपत्र स्वीकार फरमाया जावे और प्रतिवादी सं. 1 को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद कराया जावे कि वह ग्राम परा तहसील–बदनोर में स्थित आराजी नं. 890 891 943 944 945 1012 1013 1014 1015. 1018 1022 1037 1038 1039, 1040 1041 1042, 1043, 1587 1588 कुल किता 20 रकबा 4.43 हैक्टेयर भूमि व खाता सं. 649 में आराजी नं. 83 84 किता 2 रकबा 0.8100 हैक्टेयर भूमि को किसी भी तरह से खुर्द–बुर्द अंतरित्त व भारित नहीं करे और वादीया को इस भूमि से बेदखल नहीं करे ।

22. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली में उलपब्ध रेकार्ड का अध्ययन अवलोकन किया गया । बहस का मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन, अध्ययन व मिलान किया गया। रेकार्ड अनुसार प्रकरण स्थाई निषेधाज्ञा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का है। अपीलाण्ट राजस्व रेकार्ड अनुसार खातेदार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया जाकर नियमों के कम में विस्तृत विश्लेषण कर विधिवत विस्तृत आदेश पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

23. आदेश

अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 26.4.2023 को यथावत रखा जाता है। उपरोक्तानुसार डिकी पर्चा मूर्तिब किया जावे।

24. आदेश खुले न्यायालय में लिखाया जाकर आज दिनांक 9.2.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(पी0आर0मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी0 आर0 मीना ,आर ए एस
अपील संख्या– आरटीए/131/2023

उनवान

1. श्रीमती नंदु पत्नी मांगू गुर्जर, निवासी–परा, तहसील–बदनोर, हाल निवासी–चोटियास, तहसील–आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. मांगू गुर्जर पिता खुमाण गुर्जर, निवासी–परा, तहसील–बदनोर, जिला भीलवाडा
2. धर्मा पिता खुमाण गुर्जर, निवासी–परा, तहसील–बदनोर, जिला भीलवाडा
3. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी धर्मा गुर्जर, निवासी–परा, तहसील–बदनोर, जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये उप पंजीयक ,तहसीलदार बदनोर , जिला भीलवाडा

——रेस्पोडेण्ट्स

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★ सत्यमेव जयते

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बदनोर
के प्रकरण संख्या 58/2016 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.4.2023

अभिभाषक :

1. श्री बी एल बापना, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थीगण अनुपस्थित

अपील में डिक्री
(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/131/2023 मे उपखण्ड अधिकारी, बदनोर के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:–

यह अपील तारीख 9.2.2026 को अपीलाण्ट की ओर से श्री बी एल बापना वकील एवं प्रत्यर्थी के अनुपस्थित रहने से दिनांक 9.2.2026 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.4.2023 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आज दिनांक 9.2.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(पी0आर0मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस